आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Empowerment Department (Director, Scheduled Caste Welfare), Government of Gujarat

Scholarship to SC Students Studying in Selected Schools under Talentpool Scheme (BCK-356)

गुजरात सरकार अपनी टैलेंटपूल योजना में चुने गए स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 40,000 रुपये तक की सहायता देती है।

क्या मिल सकता है

40,000 रुपये या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, की सहायता। जहां माता-पिता की आय 2 लाख से 3 लाख रुपये के बीच है, वहां 50 प्रतिशत सहायता दी जाती है।

किसके लिए है

गुजरात की टैलेंटपूल योजना में चुने गए स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थी।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी अनुसूचित जाति का हो।
- विद्यार्थी टैलेंटपूल योजना में चुने गए स्कूल में पढ़ता हो (पेज पर इन्हें निर्धारित आवासीय स्कूल कहा गया है)।
- परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपये तक हो; 2 लाख से 3 लाख रुपये आय वाले माता-पिता को केवल 50 प्रतिशत सहायता मिलती है।

आवेदन कैसे करें

1. जिस जिले में चुना गया स्कूल है, वहां के उप निदेशक (अनुसूचित जाति कल्याण) के कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
2. भरा हुआ फॉर्म उसी जिला कार्यालय में जमा करें, जो योजना लागू करता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sje.gujarat.gov.in/dscw/schemes/2223?lang=English
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-bck-356-talent-pool-scholarship-sc/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।